

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 75/2020

अनवान :

1. सुमन देवी पत्नि जितेन्द्र पुत्री भूराराम जाति खाती नि० युडाक तह० व जिला हिसार।
2. सरोज पत्नी सुनील कुमार पुत्री भूराराम जाति खाती नि० युडाक तह० व जिला हिसार।

:- वादी

### बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व भादरा।
2. घनश्याम पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
3. भूराराम पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
4. पृथ्वीराज पुत्र हरिसिंह जाति खाती निवासी अनूपशहर तहसील भादरा।
5. मीरा पुत्री हरिसिंह पत्नि मालाराम जाति खाती निवासी चंगोई जिला चुरू।
6. ईन्द्रा पुत्री हरिसिंह पत्नि शंकरलाल जाति खाती निवासी चंगोई जिला चुरू।
7. कान्ता पुत्री हरिसिंह पत्नि महावीर जाति खाती निवासी नथवानिया तह० नोहर।
8. गायत्री पुत्री हरिसिंह पत्नि संतलाल जाति खाती निवासी नथवानिया तह० नोहर।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री वीरेन्द्र वैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री भानु प्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा अनूपशहर के खाता सं 406/390 के खसरा सं 133, 196, 218, 250, 285, 980/211 कुल खसरा 6 की कुल 30.4390 है० वारानी खातेदारी में वादीगण के दादा हरिसिंह के नाम दर्ज 24 हिस्सा वादभूमि में वादी सं० 1 सुमन देवी व वादी सं० 2 सरोज को बहिरसा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..06.01..2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



सहायक कलक्टर  
(शकुन्तला चौधरी) भादरा  
R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़